न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | ता0 दायरा | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 713/2017 | दावा 53,88 RTA | 01.12.2017 | 16.08.2018 |

1. रणवीरसिंह पुत्र स्व. आशाराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू
2. मेघाराम पुत्र स्व. गोरूराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. छिन्नू पत्नी स्व. नोरंगराम पुत्र स्व. गोरूराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. भागीरथराम पुत्र स्व.डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. बोहितराम पुत्र स्व.डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. लालाराम पुत्र सदूराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. जमनादेवी पत्नी स्व. गीदाराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. ज्याना पुत्री गीदाराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. भंवरी पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. चिड़िया पुत्री स्व. लिछमनराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
6. भंवरी पुत्री स्व. आशाराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. शान्ति पत्नी स्व. मुकनाराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. जीवनराम पुत्र स्व. डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
9. मोतीराम पुत्र स्व. डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
10. दौलतराम पुत्र परमेश्वरी जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
11. दुर्गा पुत्री डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
12. पाना पुत्री डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
13. पूर्णाराम पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
14. चोखाराम पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
15. रामूराम पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
16. प्रवीण पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
17. कमला पुत्री नोरंगराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
18. प्यारेलाल पुत्र गीदाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
19. निवास पुत्र गीदाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
20. मोहनलाल पुत्र गीदाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
21. रवीन्द्र पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
22. सुशीला पुत्री चन्द्राराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
23. मूंगाराम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
24. सोहनलाल पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
25. देवकरण पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
26. रामकुमार पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
27. रामकुमार पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
28. शिशपाल पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
29. फूलाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)

31. अनुराग पुत्र स्व. हरिराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
32. अनुप्रिया पुत्री स्व. हरिराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
33. प्रवीणकुमार पुत्र परमेश्वरी जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
34. प्रभा पुत्री परमेश्वरी जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
35. प्रतिभा पुत्री परमेश्वरी जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
36. निकिता उम्र 4 साल नाबालिग जरिये अपने पिता सुरेन्द्र जाति जाट निवासी दुलचास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
37. निहित उम्र 4 साल नाबालिग जरिये अपने पिता सुरेन्द्र जाति जाट निवासी दुलचास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री ललित गौतम वादीगण
2. अधिवक्ता श्रीमती रूपा मजूमदार प्रतिवादीगण

## निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 669 तादादी 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 तादादी 3.29 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 671 तादादी 4.06 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 9.75 हैक्टेयर रोही घांघू तहसील व जिला चूरू में स्थित है। मुलाहिजा हेतु जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 पेश है। यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में वादी रणवीरसिंह का 1/36 हिस्सा, वादी मेघाराम का 2/55 हिस्सा व छिन्नू का 3/220 हिस्सा, भागीरथ का 1/63 हिस्सा तथा बोहितराम का 1/63 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण की भी हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है। खातेदार माली पत्नी गोरूराम, जिसका नाम जमाबन्दी में कम संख्या 2 पर दर्ज है, जिसका 1/33 हिस्सा है। मालीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। गोरूराम के वारिसान जमाबन्दी में सह खातेदार हैं। जमाबन्दी में सह खातेदार बिट्टू पुत्री नोरंगराम कम संख्या 23 पर दर्ज है जिसका स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिसान में प्रतिवादी सं. 36 व 37 हैं, यद्यपि इनके नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है, इनका 1/132 हिस्सा है। जमाबन्दी में दर्ज कम संख्या  पर दर्ज खातेदार छोटीदेवी का सवर्गवास हो चुका है, जिनका 1/36 हिस्सा है तथा जमाबन्दी में दर्ज कम संख्या 37 पर खातेदार हरिराम का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 30, 31, 32 हैं। यद्यपि इनके नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है। यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज स्वर्गीय दुलाराम व चन्दूराम के वारिसान हैं। दुलाराम के दो पुत्र लिछमणराम व गोरूराम हुए जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा चन्दूराम के एक पुत्र सदूराम हुआ जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है। लिछमणराम के एक पुत्र आशाराम व पुत्री चिड़िया पैदा हुए जिनमें आशाराम का स्वर्गवास हो चुका है। चिड़िया अभी जीवित है जो जमाबन्दी में कम संख्या 7 पर सह खातेदार के रूप में दर्ज है जिसका 1/6 हिस्सा है। गोरूराम व सदूराम के वारिसान का भी जमाबन्दी में सह खातेदार के रूप में नाम अंकित है। यह कि प्रतिवादीगण सहखातेदारान के हिससे की कृषि भूमि संयुक्त होने से हर समय कब्जा व काश्त को लेकर तनाव बना रहता है। इसलिए पक्षकारान के हिस्से की

यह कि वादी रणवीर के पक्ष में प्रतिवादी देवकरण ने अपना 1/36 हिस्सा, सोहनलाल ने 1/36 हिस्सा, मूंगाराम ने 1/36, वादी रणवीर की बहिन भंवरीदेवी ने अपना 1/36 हिस्सा व वादी रणवीर की भुआ चिड़िया का 1/6 हिस्सा तथा वादी रणवीर की माता स्वर्गीय छोटी का 1/36 हिस्सा आशाराम के सभी वारिसान में वादी को मौखिक तौर पर रिलीज कर दिया है। इसी आधार पर वादी रणवीर समस्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर अपने 1/3 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन अलग करवाना चाहता है। वादी रणवीर के पक्ष में मौखिक तौर पर हिससा रिलीज करने वाले सह खातेदार लिछमणराम के वारिसान हैं। यह कि वादी मेघाराम व छिन्नू जो कि स्वर्गीय गोरूराम के वारिसान हैं, जिनके पक्ष में स्वर्गीय गोरूराम के वारिसान ने अपना अपना हिस्सा खातेदारी में दर्ज अनुसार मौखिक रूप से रिलीज कर दिया है। जिस कारण स्वर्गीय गोरूराम के वारिसान जमनादेवी ने अपना 1/198 हिस्सा, ज्याना ने अपना 1/198 हिस्सा, भंवरी ने अपना 1/594 हिस्सा, पूर्णाराम ने 2/55 हिस्सा, बिट्टू (मृतक का हिस्सा) 1/132, कमला का 1/132 हिस्सा, प्यारेलाल का 7/198 हिस्सा, निवास का 7/198 हिस्सा मोहनलाल का 7/198 हिस्सा, रविन्द्र का 1/594 हिस्सा व सुशीलाल का 1/594 हिस्सा, माली (मृतक) का 1/33 हिस्सा के खातेदार वादीगण मेघाराम व छिन्नू बहिस्सा बराबर के गोरूराम के 1/3 हिस्से में 1/2, 1/2 के खातेदार घोषित किये जाने न्यायोचित हैं। यह कि वादीगण भागीरथराम व बोहितराम जो कि स्वर्गीय सदूराम के वारिसान हैं, सदूराम के समस्त वारिसान का समस्त कृषि भूमियों में 1/3 हिस्सा है। सदूराम के वारिसान सहखातेदारान लालाराम 1/9 हिस्सा, शान्ति पत्नी मुकनाराम 1/45 हिस्सा, जीवन पुत्र डूंगरराम 1/63 हिस्सा, मोतीराम पुत्र डूंगरराम 1/63 हिस्सा, दौलतराम पुत्र परमेश्वरी 1/252 हिस्सा, दुर्गा पुत्री श्री डूंगरराम का 1/63 हिस्सा, पाना पुत्री डूंगरराम का 1/63 हिस्सा, रामकुमार पुत्र मुकनाराम का 1/45 हिस्सा, शिशपाल पुत्र मुकनाराम का 1/45 हिस्सा, फूलाराम पुत्र मुकनाराम का 1/45 हिस्सा, प्रभा पुत्री परमेश्वरी 1/252 हिस्सा, हरिराम पुत्र मुकनाराम (मृतक) का 1/45 हिस्सा उसके वारिसान सरोज, अनुराग, अनुप्रिया ने मौखिक तौर पर वादीगण भागीरथराम व बोहितराम सदूराम के समस्त वारिसान के कुल 1/3 हिस्से में 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाने न्यायोचित हैं।

यह कि वादगत समस्त कृषि भूमियों में वादी रणवीर का 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर उसका 1/3 हिस्सा का विभाजन किया जावे तथा वादीगण मेघाराम व छिन्नू का 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे व उसी अनुसार विभाजन किया जावे। वादीगण भागीरथराम व बोहितराम का 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर उसी अनुसार विभाजन किया जावे। यह कि उक्त कृशि भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या में काफी हो गये हैं तथा वादगत कृषि भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त सम्पत्ति अविभाजित चली आ रही है। इस कारण हिस्साकसी को लेकर तथा सीमांकन को लेकर पक्षकारों में विवाद रहता है और भविष्य में विवाद बढने का अन्देशा है तथा हिस्सेदार बढने की भी सम्भावना है। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो अपने हिस्से की घोषणा करवाकर कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अलग से ही खाता कायम करवा लेवें। यह कि वादीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं और वे अपने हिस्से की भूमि को शान्तिपूर्ण तरीके से कब्जे में रखना चाहते हैं लेकिन पक्षकारान संख्या में अधिक होने के कारण वादीगण के कब्जा में व्यवधान पहुंचाते हैं।

यह कि वादीगण ने मौखिक रिलीज के आधार पर खातेदारी घोषित करवाने तथा उसी मुताबिक बनने वाले हिस्से का विभाजन करवाने के लिये प्रतिवादीगण को काफी बार कहा एवं कहलवाया कि वो साथ चलकर अपने–अपने हिस्से के मुताबिक विभाजन करवा लेवें परन्त प्रतिवादीगण ने वादीगण की बात की कोई परवाह नहीं की और आखिरकार दिनांक 23.11.2017 को बमुकाम घांघू तहसील व जिला चूरू में विभाजन कराने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए यही इस दावे का वाद कारण है और वादीगण उक्त कृषि भूमि में हिस्सेदार/खातेदार कब्जेदार होने के कारण उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। यह कि प्रतिवादी संख्या 38 को पक्षकार वाद बनाया जाने से पहले धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिये जाने का प्रावधान है परन्तु इस दावा में तहसीलदार के खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिये ही तहसीलदार, चूरू को वाद पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादगत कृषि भूमि वाके रोही घांघू तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण प्रकरण श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार का है तथा वाद घोषणात्मक खातेदारी एवं विभाजन का है, जिसकी मालियत 4000/– रूपये कायम की जाकर न्यायशुल्क 4/– रूपये पर दावा अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। अतः दावा वादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिकी फरमाया जावेः–

(क) कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 669 तादादी 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 तादादी 3.29 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 671 तादादी 4.06 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 9.75 हैक्टेयर रोही घांघू तहसील व जिला चूरू में वादी रणवीरसिंह को 1/3 हिस्सा, वादीगण मेघाराम व छिन्नू का 1/3 हिस्सा में बहिस्सा बराबर व वादीगण भागीरथराम व बोहितराम का 1/3 हिस्सा में बहिस्सा बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें, उसी अनुसार जमाबन्दी में अंकन किये जावें।

(ख) कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 669 तादादी 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 तादादी 3.29 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 671 तादादी 4.06 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 9.75 हैक्टेयर रोही घांघू तहसील व जिला चूरू का by meets and bounds विभाजित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर नक्शा तरमीम व तकसीम किया जाकर अलग से पासबुक जारी की जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने सुनवाई वाद हो जावे, वो भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 37 की ओर से श्रीमती रूपा मजूमदार एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालदावा पेश किया जिसकी प्रति वकील वादीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 से 37 ने अपने इकबाल जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद संख्या 1 से 13 स्वीकार हैं। प्रतिवादीगण ने अपने इकबालदावा के विशेष कथन में अंकित किया कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 669 तादादी 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 तादादी 3.29

रोही घांघू तहसील व जिला चूरू में वादी रणवीरसिंह को 1/3 हिस्सा, वादीगण मेघाराम व छिन्नू का 1/3 हिस्सा में बहिस्सा बराबर व वादीगण भागीरथराम व बोहितराम का 1/3 हिस्सा में बहिस्सा बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम प्रतिवादीगण द्वारा दावा में वर्णित समस्त कथनों को इकबाल करते हैं। यह कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 669 तादादी 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 तादादी 3.29 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 671 तादादी 4.06 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 9.75 हैक्टेयर रोही घांघू तहसील व जिला चूरू का by meets and bounds विभाजित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर नक्शा तरमीम व तकसीम किया जाकर हम प्रतिवादीगण को व वादीगण को अलग से पासबुक जारी की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह कि हम प्रतिवादीगण ने उपरोक्त कृषि भूमियों में हमारा दर्ज हिस्सा हमने वाद में लिखे अनुसार वादीगण के पक्ष में मौखिक तौर पर रिलीज कर दिया है, जिस कारण वादगत कृषि भूमियों में हम प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं है। वादीगण का ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। अतः इकबालदावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जावे।

दावा में समस्त प्रतिवादीगण की ओर से इकबालदावा पेश होने से तनाकेयात कायम की जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए पत्रावली सीधे साक्ष्यवादी में रखी गई जिस पर साक्ष्यवादी रणवीरसिंह, मेघाराम, भागीरथराम व छिन्नू ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 से PW-4 पेश किये जिनके बयान लेखबद्ध किये गये। वकील प्रतिवादी के गवाहान से जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। वादी ने अपनी साक्ष्य समाप्त की। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि हम साक्ष्य नहीं कराना चाहते जिस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत रखी गई।

दावा वादीगण पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने दावा पर अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि दावा में प्रतिवादी सं. 1 से 37 की ओर से इकबालदावा पेश हो चुका है जिसमें उन्होंने वादीगण के दावा में अंकित समस्त कथनों एवं तथ्यों को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण ने अपने इकबालदावा में यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि उन्होंने वादगत कृषि भूमि में अपना-अपना हिस्सा मौखिक रूप से वादीगण के पक्ष में रिलीज कर दिया है। प्रतिवादीगण को वादीगण द्वारा अपने दावा में चाहे गये अनुतोष को दिये जाने में कोई एतराज या आपत्ति नहीं है। वादीगण ने अपने दावा में अंकित कथनों एवं पेश दस्तावेजों को साक्ष्यवादी से साबित करवाया है तथा वकील प्रतिवादीगण ने ना तो गवाहों से जिरह की है तथा ना ही हमारे दावा के विरोध में कोई लिखित या मौखिक कथन किया है बल्कि अपना इकबालदावा पेश किया है। प्रतिवादीगण ने दावा के विरोध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किये हैं। अब किसी भी पक्षकार को दावा स्वीकार करने बाबत कोई आपत्ति नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा में अंकित परिशिष्ट 'ए' के उपमद 'क' से 'ग' के अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि में से हमने अपना-अपना हिस्सा मौखिक रूप से वादीगण के पक्ष में रिलीज कर दिया है जिसको हमने अपने इकबालदावा में भी स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया है। हमें वादीगण के दावा पर कोई एतराज या आपत्ति नहीं है। अतः दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री जारी की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। वादीगण ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी की होना अंकित करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक रूप से अपने-अपने हिस्सों का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया जाना बताया है जिससे वादगत कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी रणवीर के नाम 1/3 हिस्सा, वादीगण मेघाराम व छिन्नू का ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा एवं वादीगण भागीरथराम व बोहितराम का ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा अंकित किया जाकर खाता विभाजन करवाने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी सं. 1 से 37 ने अपना इकबालदावा पेश कर वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुए दावा में चाहा गया अनुतोष वादीगण को दिये जाने में अपनी सहमति दी है। साक्ष्यवादी पेश कर वादीगण के गवाहान ने अपने साक्ष्यों को प्रदर्शित करवाया है तथा बयानों में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया है। गवाहों से जिरह वकील प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम घांघू ख.नं. 669, 670, 671 कुल तादादी 9.75 हैक्टेयर में वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार दर्ज हैं।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 37 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें वादीगण 1/3-1/3 हिस्सा का खातेदारी की घोषणा करवा कर घोषणा के अनुरूप खाता विभाजन दावा में करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 37 ने वादीगण के दावा अनुतोष को स्वीकार करते हुए कोई एतराज या आपत्ति जाहिर नहीं की है परन्तु उक्त वादगत कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें नियमानुसार सभी दर्ज खातेदार एवं उनके जायज वारिसान का हित निहित है इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा वादगत कृषि भूमि में से परित्याग किये जा रहे अपने-अपने हिस्सों का बिना विधिवत परित्याग करवाये मात्र इकबाल जवाब के आधार पर दूसरे हिस्सेदारों का नाम हटाकर वादीगण को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार की घोषणा से राज्य सरकार को भारी राजस्व हानि होने की पूर्ण सम्भावना है। इसलिए वादीगण द्वारा पेश घोषणात्मक एवं खाता विभाजन का दावा में मात्र अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी तो हैं परन्तु दूसरे खातेदारों के हिस्से की खातेदारी अपने नाम से घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण द्वारा पेश दावा स्टाम्प ड्यूटी बचाने की मंशा से किया गया प्रतीत होता है। वादीगण वादगत कृषि भूमि के सह खातेदारों से अपने-अपने हिस्सों की भूमि का परित्याग विधिवत रूप से अपने पक्ष में करवा कर खाता विभाजन करवा सकते हैं। इसलिए दावा वादीगण में राज्य सरकार को होने वाली भारी राजस्व हानि के मध्यनजर वादीगण से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाई जानी यह न्यायालय उचित समझता है, ताकि राज्य सरकार को किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हो।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर दावा वादीगण सशर्त स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 669 तादादी 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 तादादी 3.29 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 671 तादादी 4.06 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 9.75 हैक्टेयर रोही घांघू तहसील व जिला चूरू में वादीगण से नियमानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करवाया जाकर वादी सं. 1 रणवीर को 1/3 हिस्सा, वादीगण मेघाराम व छिन्नू को

1/3 हिस्सा एवं वादीगण भागीरथराम व बोहितराम को ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा का संयुक्त काश्तकार अंकित किया जावे एवं घोषणा के अनुरूप वादीगण का खाता विभाजन बाई मेट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जावे। वादीगण को नियमानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण से पंजीयन शुल्क जमा की रसीद प्राप्त होने पर डिक्री की पालना किया जाना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( श्वेता कौंचर )
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

## डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
## (आर्डर 20 रूल 6–7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
## अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. रणवीरसिंह पुत्र स्व. आशाराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू
2. मेघाराम पुत्र स्व. गोरूराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. छिन्नू पत्नी स्व. नोरंगराम पुत्र स्व. गोरूराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. भागीरथराम पुत्र स्व.डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. बोहितराम पुत्र स्व.डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. लालाराम पुत्र सदूराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. जमनादेवी पत्नी स्व. गीदाराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. ज्याना पुत्री गीदाराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. भंवरी पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. चिड़िया पुत्री स्व. लिछमनराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
6. भंवरी पुत्री स्व. आशाराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. शान्ति पत्नी स्व. मुकनाराम जाति जाट निवासी घांघू तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. जीवनराम पुत्र स्व. डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
9. मोतीराम पुत्र स्व. डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
10. दौलतराम पुत्र परमेश्वरी जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
11. दुर्गा पुत्री डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
12. पाना पुत्री डूंगरराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
13. पूर्णाराम पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
14. चोखाराम पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
15. रामूराम पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
16. प्रवीण पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
17. कमला पुत्री नोरंगराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
18. प्यारेलाल पुत्र गीदाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
19. निवास पुत्र गीदाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
20. मोहनलाल पुत्र गीदाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
21. रवीन्द्र पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
22. सुशीला पुत्री चन्द्राराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
23. मूंगाराम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
24. सोहनलाल पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
25. देवकरण पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
26. रामकुमार पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
27. रामकुमार पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)

29. फूलाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
30. सरोज पत्नी स्व. हरिराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
31. अनुराग पुत्र स्व. हरिराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
32. अनुप्रिया पुत्री स्व. हरिराम जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
33. प्रवीणकुमार पुत्र परमेश्वरी जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
34. प्रभा पुत्री परमेश्वरी जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
35. प्रतिभा पुत्री परमेश्वरी जाति जाट निवासी घांघू तह. व जिला चूरू (राज.)
36. निकिता उम्र 4 साल नाबालिग जरिये अपने पिता सुरेन्द्र जाति जाट निवासी दुलचास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
37. निहित उम्र 4 साल नाबालिग जरिये अपने पिता सुरेन्द्र जाति जाट निवासी दुलचास तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
38. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 713/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री ललित गौतम एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब व श्रीमती रूपा मजूमदार एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

दावा वादीगण सशर्त स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 669 तादादी 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 तादादी 3.29 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 671 तादादी 4.06 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल तादादी 9.75 हैक्टेयर रोही घांघू तहसील व जिला चूरू में वादीगण से नियमानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करवाया जाकर वादी सं. 1 रणवीर को 1/3 हिस्सा, वादीगण मेघाराम व छिन्नू को ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा एवं वादीगण भागीरथराम व बोहितराम को ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे एवं घोषणा के अनुरूप वादीगण का खाता विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जावे। वादीगण को नियमानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करवाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण से पंजीयन शुल्क जमा की रसीद प्राप्त होने पर डिक्री की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16 माह अगस्त सन् 2018 को जारी की गई।

( श्वेता कोचर )
उपखण्ड अधिकारी, चूरू